पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मंडल

मुरसान स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बडी लाइन)

संख्या : इज्जतनगर/29 — जारी तिथि :26.12.2012

लागू तिथि : 5.1.2013

पुनरीक्षण तिथि : Dec-2017

''बी'' श्रेणी, इकहरी लाइने अन्तर्पाशित, मानक-III
[बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित]

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(सामान्य एवं सहायक नियम 8.01(1), (क), (ग), 2(ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (II) देखें)

टिप्पणी - 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/29 दिनांक 21.09.2004 करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

१. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी०एस०टी०ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/MSN/SIP/ 2007/VER-ZERO/45 संशोधन ''डी'' पर आधारित स्टेशन का नियम आरेख संख्या उपमुसिदूई/ निर्माण/ल०जं०/2008(आर०डी०)/15 दिनांक 11.04.2008 Alt.'B' दिनांक 28.3.2011 संलग्न है जिसमें काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण -

2.1 सामान्य स्थिति -

मुरसान स्टेशन कासगंज़-मथुरा जं० मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर ''बी'' श्रेणी का स्टेशन है तथा कासगंज़ जं० से 75.23 किमी० तथा मथुरा जं० से 29.77 किमी० की दूरी पर स्थ्ति है।

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे -

2.2.1 ब्लॉक स्टेशन -

हाथरस सिटी (पूर्व दिशा में)	:	12.07 किलोमीटर की दूरी पर
सोनाई (पश्चिर्म दिशा में)	:	5.83 किलोमीटर की दूरी पर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/29 मुरसान

(i) **<u>आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति</u>** - इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस स्थित नहीं है।

(ii) **<u>नान ब्लॉक स्टेशन</u>** - कोई नहीं ।

(iii) **<u>बाहरी साइडिंग</u>** - कोई नहीं ।

2.3 **<u>स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खंड</u>** -

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से ''ब्लाक खंड'' शुरू होता है।	वह स्थान जहॉ ''ब्लाक खंड'' समाप्त होता है।
मुरसान-हाथरस सिटी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11	**हाथरससिटी** स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2
मुरसान-सोनाई	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2	**सोनाई** स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11

2.4 **<u>ढलान यदि कोई हो -</u>**

हाथरस सिटी स्टेशन की ओर चैनेज 98.00 से 410 में 1 का अधोगामी ढलान तथा सोनाई स्टेशन की ओर अप एडवान्स स्टार्टर तक चैनेज 625 में 1 का उर्ध्वगामी ढ़ालान है ।

2.5 **<u>अभिन्यास</u>** - अभिन्यास तीन लाइनों का है। लाइन संख्या 1, 2 व 3 परिचालित लाइने है।

2.5.1 **<u>परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)</u>** :-

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर मे (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या 1	730 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या 2	686 मीटर	मेन लाइन ।
लाइन संख्या 3	733 मीटर	लूप लाइन ।

(ख) परिचालित लाइन सं० 2 सीधी लाइन है। लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 रेलपथ ट्रैक सर्किटेड है।

(ग) अप अथवा डाउन गाडियॉ किसी भी परिचालित लाइन पर/ से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2 **<u>अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)</u>** - कोई नहीं।

2.5.3 **<u>अभिन्यास में कोई विशेष बातें</u>** -

हाथरस सिटी छोर पर लाइन संख्या 3 पर आइसोलेशन के लिये डिरेलिंग स्विच प्रदत्त है ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2.6 **समपार फाटक**

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है –

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अर्न्तपाशित है या नहीं	संचार	गाडी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
323	सी	अप होम सिंगनल एस–12 एवं डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस–11 के मध्य किमी० 321/0-1	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
324	सी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं कॉटा संख्या 204 ए के मध्य किमी० 321/2-3	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
326	सी	अप एडवान्स एवं कॉटा संख्या 201 ए के मध्य किमी० 322/4-5	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित
इंजीनियरिंग समपार फाटक							
313	सी	मुरसान - हाथरस सिटी स्टेशनों के मध्य किमी० 313/5-6	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
314	सी	मुरसान - हाथरस सिटी स्टेशनों के मध्य किमी० 314/0-1	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
319	सी	मुरसान -हाथरस सिटी स्टेशनों के मध्य किमी० 317/5-6	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

321	सी	मुरसान - हाथरस सिटी स्टेशनों के मध्य किमी० 319/8-9	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
322	सी	अप डिस्टेन्ट एवं अप होम सिगनल के मध्य किमी० 320/5-6	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
327	ए	डाउन होम सिगनल तथा डाउन डिस्टेन्ट के मध्य किमी० सं० 323/9-10	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

नोट - समपार फाटक के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' से क-VII देखें ।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन** -

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों **सोनाई** तथा **हाथरस सिटी** से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति' कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकेन लेस ब्लाक यंत्र एवं टेलीफोन युक्त एक्सल काउन्टर के साथ **हाथरस सिटी** तथा **सोनाई** स्टेशनों से सम्बद्ध ।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

[सहायक नियम 14.01 (क), 14.02, से 14.06. 14.11 से 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट ''घ'' देखें]

टिप्पणी - कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

(सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम एव सामान्य तथा० सहायक नियमं 14.04, 14.13 देखें)

4. **संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति** --

4.1 **मुरसान** स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

प्रदत्त सिगनल -

(क) **अप आगमन सिगनल (हाथरस सिटी से)** -

(i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-12

(ii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (जं० इंडिकेटर रहित) सीधी लाइन सं० 2 के लिए

(iii) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (दाहिना जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 1 के लिए

(iv) अप होम सिगनल संख्या एस-12 (बांया जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 3 के लिए

(ख) **अप प्रस्थान सिगनल (सोनाई को)**

(i) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-4 मेन लाइन संख्या - 2 से

(ii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-6 लूप लाइन संख्या - 1 से

(iii) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-8 लूप लाइन संख्या - 3 से

(iv) अप अग्रिम प्रस्थान / अप गेट डिस्टैण्ट सिगनल संख्या एस-2

(v) अप गेट सिगनल संख्या **1आर** गेट संख्या 327/A के लिए ।

(ग) **अप कालिंग आन सिगनल संख्या** - सी-10

अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रंदत्त है ।

(घ) **शंट सिगनल** :

सिगनल संख्या	**सिगनल की स्थिति**
अप शंट सिगनल संख्या **एसएच-32** कांटा संख्या 204ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	**हाथरस सिटी** छोर से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या **एसएच-26** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-6** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से **सोनाई छोर** पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-2** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या **एसएच-24** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-4** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से **सोनाई छोर** पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-2** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या **एसएच-28** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-8** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से **सोनाई छोर** पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-2** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ङ) **डाउन आगमन सिगनल (सोनई से)** -

(I) डाउन गेट डिस्टैण्ट सिगनल ।

(II) डाउन डिस्टैण्ट सिगनल/डाउन गेट सिगनल संख्या **1एल** गेट सं० 327/A के लिए ।

(III) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (जं० इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन सं० 2 के लिए

(IV) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 (बाया जं० इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए

(V) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 (दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 3 के लिए

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(च) **डाउन प्रस्थान सिगनल (हाथरस सिटी को)** -

(I) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 लाइन संख्या 1 से

(II) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 लाइन संख्या 2 से

(III) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 लाइन संख्या 3 से

(IV) डाउन एडवान्स्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-11

(छ) **डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या** : सी-3
डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रंदत्त है ।

(ज) **शंट सिगनल** :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या **एसएच-31** कांटा सं० **201ए** के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	**सोनई छोर** से लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या **एसएच-25** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-5** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से **हाथरस सिटी** छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-11** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या **एसएच-27** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-7** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से **हाथरस सिटी** छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-11** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या **एसएच-29** अप प्रस्थान सिगनल संख्या **एस-9** के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से **हाथरस सिटी** छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या **एस-11** तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(झ) **पुनरावर्तक (रिपीटर)** - कोई नही ।

4.1.1.(क)सभी कॉंटें एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते है जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते है । यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉंटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। कॉंटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त है।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ड़) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैन्सीलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते है।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट “ख” में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2 **स्टेशन मास्टर पैनल** :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

3 **स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी** :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैलन से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी० जी० एन०बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को आफ' से आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगें।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति मे प्रकाशित रहेंगें।

4 **स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी** :-

पैनल पर स्टेशन मास्टर की एक आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज़ नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० **(EUUYN)** बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटें संचालन के लिये मुक्त हो जाते है।

5 **पुश बटन** :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-

6 **सिगनल बटन** :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

7 **रुट बटन :**

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल ''आफ'' किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल ''आफ' हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 व 3 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को ''आफ'' करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रुट बटन संख्या ''बी'' तथा लाइन सं० 3 पर स्थित रूट बटन 'सी' को एक साथ दबाने पर रुट सेट हो जायेगा और सिगनल ''आफ'' हो जायेंगे । इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टॉटर सिगनल संख्या एस-2 को ''आफ'' करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन सं० एस-2 तथा रुट बटन संख्या ''ई'' को एक साथ दबाने पर अप एडवान्स्ड स्टॉटर सिगनल सं० एस-2 ''आफ'' हो जायेगा ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

8 **काँटा बटन** -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटो का अलग-अलग संचालन **गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कॉंटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा ।**

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनो के संचालन के लिए परिशिष्ठ 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

9 **रिमाइन्डर कालर** -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइंडर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा । इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है ।

10 **विद्युत चालित कॉटा मशीन/क्रैन्क हैण्डिल** -

11 मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैंक हैडिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है । स्टेशन पर **दो** क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी सी०एच०-1 एंव सी०एच०-2, का प्रावधान है। स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है -

(i) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी का वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबायेंगे।

(ii) विद्युत कांटा मशीन को आपात् कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्ते पूर्ण होती है तो पैनल पर क्रैन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेगे।

(iii) परिशिष्ट ''ख'' के पैरा 7 में वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रैंक हैडिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये।

(iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित कैंक हैडिल नियंत्रक चाभी का एलएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबाने पर कैंक हैंडिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा कैंक हैडिल के एलएन बटन के ऊपर कैंक हैडिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा ।

13 क्रैन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण निम्नवत है -

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण
सी०एच० - 1	201ए-201बी, 202ए-202बी
सी०एच० - 2	203-203एक्स, 204ए-204बी

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

14 प्रत्येक समय जब क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये-

क्रम सं०	क्रेंक हैन्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेंक हैन्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेंक हैन्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलतायें परीक्षण	क्रैंक हैन्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेंक हैन्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4.2 **<u>रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति</u>** -

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उददे्श्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौपनी चाहिये।

4.3 **<u>विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)</u>** -

विद्युत विफलता की स्थिति में सिगनल संकेतों को प्रकाशित करनें के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है। आपूर्ति के साधन, लोकल पावर सप्लाई (राज्य विद्युत बोर्ड), डीजल जनरेटर एवं इंट्रीग्रेटेड पावर सप्लाई है।

(विस्तृत विवरण पैरा 9.4 में देखें) ।

5. **<u>दूर संचार</u>** - स्टेशन मास्टर के कार्यालय में -

i) इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन ।

ii). बी०एस०एन०एल० फोन ।

iii). मुरसान तथा सोनई स्टेशन के टोकन लेस ब्लाक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।

iv). मुरसान तथा हाथरस सिटी स्टेशन के टोकन लेस ब्लाक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।

v). ट्रैफिक सम्पार फाटक सं० 323/सी, 324/सी के साथ टेलीफोन ।

vi). इंजी० सम्पार फाटक सं० 313/सी, 314/ सी, 319/सी, 321/सी, 322/सी(MSN-HTC) 327/ए (MSN-SYZ) के साथ टेलीफोन ।

vii). बी०एच०एफ० सेट 25 वाट ।

(संचार व्यवस्था विफलता के दौरान गाड़ी संचालन परिशिष्ट 'ख' के पैरा के नियमानुसार किया जाये)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6. **गाडी संचालन की प्रणाली**

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 8.03 (2), 8.10, 8.12, 8.13 एवं 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

1) **गाडियों का आगमन**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाडियों का आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

(क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किट के लिये ट्रैक सर्किट आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नही जल रहा है।

(ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित है लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।

(i) **अप गाड़ियों के लिए** -

(अ) लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(स) लाइन संख्या 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(ii) **डाउन गाड़ियों के लिए** -

(अ) लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।

(ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।

(स) लाइन संख्या 3 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाडी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर आगमन के लिये गेट संख्या 323/सी एवं 324/सी या डाउन गाडी लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय ट्रैफिक समपार संख्या 324/सी को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या क्रमशः 551, 552 अप गाडी के लिए एवं 551 डाउन गाडी के लिए दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 324/सी एवं 323/सी के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।

(ड़) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।

(अतुल सिंह) (के0एस0सोनाल)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वांइट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल ''आन'' स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।

(ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर जल जाती हैं।

(ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कॉटों को निर्धारित समयान्तराल में अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की दशा में दोनों ओर के कॉटों को अवरूध्द लाइन के विपरीत सैट करें। तत्पश्चात कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(एक्सिल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा तथा ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा० एवं स० नि 5.19 देखें)

6.1 **गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य -**
गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं कॉटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 **प्रत्येक पारी में गाडी संचालन कर्मचारी**

(क) **दिन की पाली**

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(ख) **सॉध्य / रात्रि पाली**

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	-	02	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 **लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र**
कार्यरत स्टेशन मास्टर गाडी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।
(सामान्य नियम 3.38 (ग), 3.40 (3) देखे)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.1.3 **आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-**

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचलन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।
(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखे) ।

6.2 **लाइन क्लीयर देने की शर्तें** -

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि -

(क) सम्पूर्ण अन्तिम पूर्ववर्ती गाडी पूरी न आ गयी हो।

(ख) उक्त गाडी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल ''आन'' स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।

(ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

(घ) डाउन गाडियों के मामले में गेट संख्या 327/ए तथा अप गाडियों के मामले में गेट संख्या 313/सी, 314/सी, 319/सी, 321/सी, तथा 322/सी के गेटमैन को सम्बन्धिम गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशो के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो ।
(सा० एवं सहा० नि० 8.03(2)(क)(ख)(ग)(II) देखें)

6.2.1 **गाडी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्ते** -

विचलन :

1. सामान्य नियम 3.40 (i), (b) के अनुसार गाडियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी सामान्यतः रूकनें के स्थान से मापी गयी है, जैसा कि :

(क) लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये क्रमशः अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 एवं एस-8 से ।

(ख) लाइन संख्या 1 के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 से ।

2. सामान्य नियम 3.07 (7) के अनुसार निम्न सिगनलों को संयुक्त किया गया है

(क) डाउन डिस्टैण्ट सिगनल को डाउन गेट सिगनल के साथ ।

(ख) अप एडवांस स्टार्टर को अप गेट डिस्टैण्ट के साथ ।

6.2.1.1 **ब्लाक लाइन के विरूद्ध कार्टो को अन्य लाइन के लिये सेट करना** -

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रेसीडेन्स के कारण अवरूद्ध हो, तो दोनों छोंरों के कॉटे अवरूद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जाये।

(सहायक नियम 5.19(1) (a) (ii), (b),(ii), (2), (i)(ii)(iii), (5)(ii)(f) देखें)

(अतुल सिंह) (के0एस0सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.2.1.2 **अवरूद्ध लाइन पर गाडी का आगमन** -

जब स्टेशन पर किसी अवरूद्ध लाइन पर गाडी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09 (1) (a) (b) (c), (2)(c), (3) (a) (b)(i) तथा सहायक नियम 5.09 (1) (a) (b) (c) के अनुसार कार्य्रवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें

6.2.1.3 **बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन** -

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है ।

6.2.1.4 **बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का प्रस्थान** -

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है ।

6.2.1.5 **कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना** -

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 **सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना** - कोई नहीं ।

6.3 **आगमन सिगनल को आफ करने की शर्ते** -

(क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।

(ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।

(ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कॉटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।

(घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।

(ड़) अप गाडी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर आगमन के लिये गेट संख्या 323/C एवं 324/C या डाउन गाडी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय ट्रैफिक समपार संख्या 324/C को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या क्रमशः 551, 552 अप गाडी के लिए एवं 551 डाउन गाडी के लिए दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या 324/C एवं 323/C के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।

6.3.1 **'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व**

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 **गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की क्रासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना**

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(क) इस स्टेशन पर गाडियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है -

i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

नोटः- लाइन नं० 3 हाथरस सिटी छोर पर डिरेलिंग स्वीच प्रदत्त होने के कारण गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की स्थिति में सदैव अप गाड़ी को लाइन नं० 3 एवं डाउन गाड़ी को लाइन नं० 1 पर ही लेना होगा।

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाडियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है। (सहायक नियम 5.01 (14) देखे)

6.5 <u>गाडियों का पूर्ण आगमन</u> -

(क) स्टेशन से बिना रूके जाने वाली गाडी के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाडी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करे कि गाडी पूरी आ गयी है/चली गयी हैं।

(ख) रुकने वाली अप गाडियों के सम्बन्ध में गेट संख्या 324/सी पर कार्यरत गेटमैन का यह कर्तव्य होगा कि वह गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना टेलीफोन द्वारा कार्यरत स्टेशन मास्टर को बताये तथा अपनी-अपनी लाग बुक में प्रविष्टि करें। किन्तु डाउन गाड़ी तथा यदि कोई गाड़ी बिना टेललैम्प/टेलबोर्ड के अपूर्ण आती है तो कार्यरत स्टेशन मास्टर इस उद्देश्य हेतु ट्रेन इनटेक्ट पंजिका टी/1410 पर गार्ड से पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नही करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नही प्राप्त कर लेता है।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.17 देखें ।)

6.6 <u>गाडियों का प्रस्थान</u> -

(1) जब गाड़ियों का प्रस्थान अभिप्रेत हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

(क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकन लेस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।

(ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्तियों में लाल प्रकाश नही जल रहा है।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(घ) जब मार्ग सेट एवं लाक हो जाय एवं पैनल पर वांछित संकेत उपलब्ध हो तब अप गाड़ियों के लिए 327/ए तथा डाउन गाडी के मामले में गेट संख्या 323/सी एवं 324/सी का सड़क यातायात के विरूद्ध बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552, 551 लाक्ड स्थिति में दबाये जिससे गेट बन्द एवं लाक होन का इन्डिकेशन पैनल पर आ जायेगा तथा इंजी० समपार संख्या 322/C, 321/C, 319/C, 314/C व 313/C के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें।

(ड़) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रुट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाडियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।

(झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पंहुचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल ''आन'' हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।

(ट) गाड़ी का पूर्ण रुप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ठ) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ़्युज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

2. **<u>प्रस्थान सिगनल 'आफ' करनें की शर्ते</u>**

(क) उस ब्लाक स्टेशन से जिधर गाडी को भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।

(ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।

(ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित साफ संकेत उपलब्ध है।

(घ) अप गाडी के मामले में इंजी० समपार संख्या 327/A के गेटमैन को, एवं डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 323/सी एवं 324/सी का सड़क यातायात के विरूद्ध बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552, 551 लाक्ड स्थिति में दबायें जिससे गेट बन्द एवं लाक होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा तथा इंजी० समपार संख्या 322/C, 321/C, 319/C, 314/C एवं 313/C के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें।

(अतुल सिंह)	(के0एस0सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर	मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.6.1 **सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना** -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाडी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

6.7. **गाडियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू)**

(क) गाडियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबंधों के आधीन बिना रूके सीधे जाने की अनुमति है।

(ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाडी लूप लाइन संख्या 1 व 3 से बिना रूके प्रतिबन्धित गति से दी जा सकती है। निकट सिगनल तथा प्रस्थान सिगनलों को 'आफ' कर देना चाहिये तथापि प्रस्थान सिगनल 'आफ' संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी सम्बन्धित लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी ।

6.8 **विफलता के दौरान कार्य पद्धति** -

कॉटों एवं सिगनलो के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.68 (I) (ग), 3.69(3), 3.70 (1)(3), 3.39(i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाडी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे । स्पष्ट किया जाता है कि स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि साधारण एवं सहायक नियम 3.49(2) (बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i) (ii) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । अवरूद्ध लाइन पर गाडी का आगमन साधारण एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 **ट्रालियों/मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली** -

(क) मोटर ट्राली को गाडियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।

(ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाडी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर आ रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा गाडी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)

(घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरूध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नही है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित कॉंटें विपरीत सैट करेगा ।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिखा नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूध्द की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनों के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहॉ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्योरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्योरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी :

1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा नये प्रकार के रोलर बियरिंग लगे कोचिंग स्टाक जब स्टेशन पर स्टेबुल हो तो, निम्नलिखित सावधानियॉ बरती जाये।

(क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।

(ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।

(ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

(घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. **जहॉ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियॉ बरतें** -

(क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति (Impact Speed) प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड में, पॉच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संगठन गति (Impact Speed) 2-4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

(सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

8. **शंटिग**

शंटिंग संम्बन्धी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखे।

8.1 **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिग** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

(क) प्रथम रोक सिगनल होम तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिग की अनुमति है -

(I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।

(II) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो ।

(III) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो।

(IV) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये ।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिग** - निम्न शर्तों के साथ शंटिग की अनुमति है -

(I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिग का प्रभारी हो ।

(II) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों ।

(III) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा

(IV) चालक को टी / 806 प्रपत्र पर शंटिग आदेश एवं शंटिग चाभी भी दिया जाना चाहिये ।

8.2 **आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिग** (आगमन अनुमति देने के बाद)

(क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कॉटो तक शंटिग की अनुमति है।

(ख) वाहयतम सम्मुख कॉटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिग करने की अनुमति है।

(I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिग का प्रभारी हो ।

(II) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो ।

(III) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो तथा

(IV) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिग बन्द कर दी जाये ।

8.3 **जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिग**

प्रथम रोक सिगनल होम तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिग की अनुमति है-

(I) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।

(II) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो।

(अतुल सिंह) (के0एस0सोनाल)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(III) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।

(IV) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।

(V) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिग करने हेतु टी/806 पर लिखित अनुमति एवं शंटिंग चाभी दी जाये।

8.4.1 **शंटिंग पर प्रतिबन्ध**

आगमन सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद नान आइसोलेटेड लाइनो पर शंटिंग की अनुमति नही है।

8.4.2 **शंटिंग का कोई विशेष पहलू –**

(क) हाथरस सिटी की आरे शंटिंग करते समय ट्रैफिक गेट संख्या 323/सी तथा 324/सी को बन्द एवं लाक कराकर नियन्त्रण बटन 551, 552 को लाक्ड स्थिति में दबाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) **शंटिंग के समय गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित कर्तव्य होंगें :-**

1. सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही वैगनों / वाहनों को जोड़ना तथा काटना और ठीक मार्शलिंग सुनिश्चित कराना।
3. यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त होने के पश्चात वैगनों / वाहनों के कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है तथा कांटो की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना।

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5 **स्टेशन यार्ड / माल यार्ड से निकलने वाली साइडिग में शंटिग** - कुछ नही।

8.6 **आउट लेइंग साइडिंग की कार्य विधि** – कोई नहीं ।

9. **असामान्य परिस्थितियॉ :**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाडियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रियाः**

(I)(अ) ट्रेन सिगनलिग उपकराणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन / कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.22 एवं 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखे ।)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(II)(ब) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।

2.(अ) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

(ब) **वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना** -

वीएचएफ से द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

(i) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय पूछेगा / बतायेगा।

(ii) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्टरबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।

(iii) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशनमास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।

(iv) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा० की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।

2.(स) लाइन या किसी गाडी की दुर्धटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01, 6.02, 6.04, 6.07 से 6.11 देखे।)

2.(द) यदि कोई मोटर चालित कॉटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कॉटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कॉटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कॉटों के उपयुक्त संचलन की जॉच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कॉटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कॉटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी मे अंकित किया जाना चाहिये ।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) **क्रैन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि** -

संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

(ग) **कॉटों, ट्रेक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना** -

संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 15 को देखें ।

9.1 **संचार साधनों की पूर्ण विफलता** -

9.1.1 **संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है**

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

(क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर ।

(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन ।

(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुडे स्थिर फोन यदि उपलब्ध है ।

(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी०एस०एन०एल० फोन ।

(ड़) नियंत्रण दूरभाष ।

(च) वी०एच०एफ० सेट ।

9.1.2. **इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालनः**

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये -

(क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।

(ख) गाडी के इंजन द्वारा ।

(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी - संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

9.1.3 **संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी** -

क्रम	**प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर**	**प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर**
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को आन स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ड)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2-	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये सशर्त लाइन क्लीअर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।

टिप्पणी –

(क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

(ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाडियॉ चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाडियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाडियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीअर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाडियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढेगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9.1.4 **<u>सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियॉ</u>** -

(क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकर टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।

(ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडिया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 **<u>दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति</u>** - कुछ नही।

9.3 **<u>बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाड़ियो का प्रस्थान।</u>**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करनें के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत ईजन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा।

(विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii) 6.09(ii()iii) (1()2()3) देखे)

9.4 **<u>विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश</u>** -

1) **मुरसान** स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदशित होंगी -

2) सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।

2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज १२० वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी बोल्टेज दो बोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।

2.2 बैटरी बोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।

2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बत्तियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलर्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।

2.4 जेनरेटर र्स्टाट करने के लिये जेनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जेनरेटर हैण्डिल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3) इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा ।

(अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच ''ए'' जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जेनरेटर साइड में लगा देगें।

(ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जेनरेटर सं० 1 एवं जनरेटर सं० 2 लगे है। जेनरेटर कक्ष में जेनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जेनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।

(स) सामान्यतयाः स्टेशन मास्टर स्टैण्ड वाई जेनरेटर सं० 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर सं० 2 को प्रयोग किया जायेगा।

(द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जेनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 2-2 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।

4) जब कार्मशियल सप्लाई आ जाये तो स्विच ''ए'' को कर्मशियल साइड की तरफ बदल कर लगा दे और स्विच ''बी'' को मध्य स्थित में कर दे तथा जनरेटर को बंद कर दिया जाये।

5) जेनरेटर में डीजल आयल जब भरा जाये तो स्टेशन मांस्टर आयल लाग बुक में इसका प्रविष्टि तुरन्त करे। कार्यरत स्टेशन मास्टर भी डीजल जेनरेटर के उपयोग का प्रविष्टि लाग बुक में अवश्य करें।

6) कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का प्रविष्टि लाग बुक में निम्न प्रकार से करेंः-

क्रम संख्या	दिनांक	IPS को चार्ज करने का समय घंटा एवं मिनट में	डी०जी०सेट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर	रिमार्क
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का कुल समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

7) डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

8) **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य** -

आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

9) **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि** -

(अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

(ख) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुकत करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369(3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा ।

10. **दृश्यता परीक्षण लक्ष्य** -

(I) **सोनई छोर** - दिन व रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(II) **हाथरस सिटी छोर** - दिन व रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11 **इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण** - परिशिष्ट "ड़." देखें ।

12 **कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम**

कोहरे के समय फाग सिगनल मैन के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	**'क'**	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	**'ख'**	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	**'ग'**	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	**'घ'**	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्तव्य
परिशिष्ट	**'ड.'**	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	**'च'**	डी के, स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	**'छ'**	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियमः-

टिप्पणी:- इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

" लागू नहीं "

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रुपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
3. कर्मचारियों को अपने कार्यो से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभॉति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको,डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
6. यार्ड और यार्ड उपकरणो का आवधिक निरीक्षण।
7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रखा-रखाव।
8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लधंन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।

(ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।

(ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यो के लिये पूर्ण रुप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रुप से करेगें।

(घ). मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें। नियम 3.39(ii) देखें।

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'घ'

2. <u>परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य</u> :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
7. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
8. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
9. कर्मचारियों के कार्यो का पर्यवेक्षण।
10. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नही हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।
    सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

3. <u>गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य</u>

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यो के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'घ'

गाड़ियों के आगमन /प्रस्थान एवं शंटिग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगें :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिंगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।

ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।

12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

4. **गाड़ी सपरिचालन कर्तव्यो के अन्तर्गत गेट मैन के कर्तव्य** :-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/29 मुरसान

परिशिष्टि ङ

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रुप से रहेगें।

1.	हाथ सिगनल बत्ती	- 04 बैट्री आपरेटेड - 04 के० आयल गेट सं० 323/सी,324/सी)
2.	हाथ सिगनल झण्डी	- 06 हरी तथा 07 लाल
3.	पटाखा सिगनल	- 50
4.	सुरक्षा जंजीरे	- 04 तालो सहित
5.	क्लैम्प	- 06 तालो सहित
6.	अग्नि शामक यन्त्र(डी०सी०पी०टाइप)	- 02
7.	फायर बकेट	- 06
8.	प्राथमिक चिकित्सा पेटी	- 02
9.	लकड़ी के गुटके	- 04

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

" लागू नहीं "

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

" लागू नहीं "

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर